'RESEARCH JOURNEY' International E- Research Journal
Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013)
Special Issue154B- Use of ICT in Teaching Learning Process
UGC Approved Journal
ISSN : 2348-7143
February-2019

सूचना-संचार एवं भाषा

डॉ. शैलजा जायसवाल
अध्यक्षा–हिन्दी विभाग
म.गां. वि. मंदिर संचलित
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,
मनमाड–नासिक
drshailajajaiswal@gmail.com

आज सूचना प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध अध्ययन, अध्यापन, सुरक्षा, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेसिंग, वेबिनार (रेकाडेड), इंटरनेट (अन्तरजाल) आदि संचार सुविधाओं से जुड़ा है। ये सारे माध्यम सूचना प्रौधिगिकी ICT कहलाते है। सूचना एवं संशोधनों द्वारा इस क्षेत्र में प्रति दिन नवीन प्रयोग हो रहे है। सूचना प्रौद्योगिकी वाणिज्य एवं विज्ञान का ही नहीं, बल्कि भाषा का भी अभिन्न अंग बन चुका है। यह क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत रूप धारण कर रहा है।संचार क्रांति के फलस्वरूप सूचना तन्त्र के प्रयोग से हमारा समाज सशक्त बन रहा है। आज के इस तकनीकी युग में ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र का यह एक अभिन्न अंग है। सूचना तन्त्र ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया है, आज हम सूचना व संचार के मायावी संसार में खो रहे है। सूचना एवं संचार माध्यम दृश्य, श्रृव्य, सम्प्रेषण, पत्रकारिता आदि से आगे बढ़ चुके है, आज सूचना तन्त्र प्रसार–प्रचार के साधनों जैसे कम्प्यूटर, इंटरनेट, गुगल, ट्विटर, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट्स, ई–मेल, वाट्स ॲप आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुका है। विडियो टूटोरियल, ऑडियो–वीडियो मोबाईल आदि ने हमारी जीवन शैली को आसान बना दिया है।

जर्मनी के आधुनिक दार्शनिक अर्नस्ट कैर्शिरर ने मनुष्य को प्रतीक एवं संकेत का प्रयोग करनेवाला प्राणि कहा है। मनुंष भाषा के साथ–साथ अपनी बुद्धि, अपने विचारों और अपनी शक्ति को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों और संकेतों का सहारा लेता है। मनुष्य की इसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया, फलस्वरूप लगभग सात (7) हजार वर्ष पूर्व वर्णमाला का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने भाषा का आदान–प्रदान भोजपत्रों एवं शिलालेखों द्वारा आरम्भ किंया। कागज की खोज ने भाषा के स्वरूप को ही बदल दिया। आवश्यकता अविष्कार की जननी होती है, इसी आवश्यकता ने सूचना तकनीक को भी जन्म दिया है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने वाला प्रेस आज मीडिया बन चुका है। हमारे संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 19 (1) के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है अथवा अधिकार है। यही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को सूचनाओं को आदान–प्रदान करने की भी स्वतन्त्रता है। जिसे सूचना का अधिकार कहते है। सोशल मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति को सूचना तंत्र से जोड़ दिया है।

जर्मनी के हेनरिच हर्ट्ज ने सन 1880 में इलेक्ट्रोमेग्नेटिक तरंगो की खोज की। उसके बात वायरलेस टेलीग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक टी. वी., फोटोग्राफी, वीडियो टेप रिकार्डिंग, सेलूलर मोबाईल, फेसीमेल (फैक्स) आदि संचार के माध्यमों की खोज हुई। सन 1990 में इन्टरनेट तथा ईमेल का प्रचार आरम्भ हुआ। सन 1999 टी. वी. चैनलों की सेवाओं में डिजिटल टेकनीक को अपनाया गया। सन 2000 में क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा रीज़नल चैनल आरम्भ हुए। 1957 में मानवनिर्मित उपग्रह छोड़ा गया था। इस तरह धीरे–धीरे सूचना तन्त्र सम्राज्य का विस्तार होने लगा। सन 1969 में टिम बर्नर्स ने इंटरनेट बनाया था। 1970 में इसका प्रभाव अधिक बढ़ गया। साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों एक दूसरे के विरोध में इसका प्रयोग करने लगे।